

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

प्रकरण संख्या के लारा चन्द वनाम हनुमान गौरा 2023/154

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/10/23	<p>पत्रावली पेशा हुई। प्राचीन अधिवक्ता की फर्द में 11 प्राथना - पत्र पर बहल सुनी जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध फस्तावेजों का अक्लीकन एवं क्लीक प्राचीन काय इक्त प्राथना पत्र पर की गयी गई। अद्य पर मनन करने के पश्चात वादग्रस्त भराजी ख. नं. 444, 433, 434 वाले ग्राम कुंघाडा सुर्दि पत्ता हल्का कुंघाडा सुर्दि अ. अ. नि. क्षेत्र कानौदा त. बस्सी जिला जयपुर की वर्तमान सीमाओं में मोठे पर कोई परिवर्तन नहीं करने हेतु अग्रपक्षों को पाबन्द किया जाकर न्यायालय आज्ञा काय जारी दिनांक 13/6/2023 के आदेश को कन्फर्म किया जा रहा है। अग्रपक्षों को जीवने अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा रहा है कि उक्त वादग्रस्त भराजी की वाद के निर्णय तक वर्तमान सीमाओं में मोठे पर अग्रपक्षों को बहार रखेंगे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम दौकर दफतर फाइल है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर